



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 28 अप्रैल, 2015 ई०

शैशाख 08, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 155/XXX(2)/2015-30(39) 2014
देहरादून, 28 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० बा०-48

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यवादेन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2002 को अधिक्रमित करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा), नियमावली, 2015

- संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) यह समस्त प्रकार के सरकारी सेवकों पर लागू होगी।
- अध्यारोही प्रभाव
2. यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।
- परिभाषाये
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद-
- (क) "समुचित प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सरकार द्वारा यथार्थि प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो;
- (ख) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
- (ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) "सरकारी सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो;
- (ङ) "रिपोर्ट" से किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्धुन अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अभिप्रेत है;
- (च) "सचिवालय" से सरकार का सचिवालय अभिप्रेत है;
- (छ) "वर्ष" से किसी कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

प्रतिकूल
अच्छा/सन्तोषजनक,
उत्तम, अतिउत्तम,
उत्कृष्ट रिपोर्ट की
संसूचना और
प्रत्यावेदन के
निपटाने के लिये
प्रक्रिया

4. (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट अन्तिम होने के पश्चात् पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट हो, जिसे आगे रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर संपूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा।
- (2) सरकारी कर्मचारी, उपनियम (1) के अधीन प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है।
- (3) सरकारी कर्मचारी यदि उपनियम (1) के अधीन संसूचित पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक या अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन देना चाहता है, तो वह ऐसी रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार संसूचित रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो, तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को कर सकता है—
- परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के पर्याप्त कारण हैं तो ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिये 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है।
- (4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उपनियम (2) तथा (3) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम रिपोर्ट अभिलिखित

